प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक–06.06.15 को हिलसा मे स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट दुकानदार मुकेश कुमार पिता बलराम प्रसाद साकिन बिहारी रोड, हिलसा से मोवाईल नं0–9102039902 द्वारा रंगदारी की मॉग किया गया था, जिसके आलोक मे हिलसा थाना कांड सं0–276/15 दिनांक–21.05.15 धारा–384 भा0द0वि0 मोवाईल नं0–9102039902 के धारक के विरूद्ध कांड दर्ज किया गया था।

पुनः दिनांक–27/28.09.15 को विश्वजीत कुमार, विश्वजीत हार्डवेयर हिलसा के मोवाईल पर फोन कर धमकी दिया गया कि 20,00000/–रूपया रंगदारी दीजिए, नही देने पर आपके घर को उड़ा दिया जायेगा, मै पी0एल0एफ0आई0 से गणेश शंकर बोल रहा हूँ। जिसके आलोक मे हिलसा थाना कांड सं0–547/15 दिनांक–29.09.15 धारा–384 भा0द0वि0 एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया।

<u>उपरोक्त दोनो कांडो मे अभियुक्तो का पता कर गिरफतारी हेतु टीम का गठन किया गया था।</u>

[illegible] कि उक्त दोनो व्यव[illegible] की योजन बनाकर अपराधकर्मी उनके घरो का रेकी किये है और घटना को अंजाम देने के लिए आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ इक्कठा हुए है। उक्त सूचना पर गठित टीम द्वारा संभावित ठिकानो पर छापामारी की गयी और हिलसा बाजार स्थित दारू भठ्ठी के पास से **01. अमित कुमार 02.मृतुजय कुमार मेहता उर्फ विक्की 03.रंजन कुमार उर्फ वच्चू 04. बीर मोहन को चार देशी कट्टा, 25 चक गोली एवं पी0एल0एफ0आई0 का बहुत सारे (पम्पलेट) पर्चा एवं पॉच मोवाईल फोन के साथ गिरफतार किया गया।** उक्त सभी अपराधी स्वीकार किये कि व्यवसायियो के घर पर डकैती एवं हत्या करने के लिए गणेश शंकर के कहने पर आये थे। पूरी योजना को मनोज कुमार के द्वारा संचालित किया जा रहा था। इस कार्य के लिए हथियार की आपूर्ति पटेल उर्फ लगड़ा के द्वारा की गई थी। मनोज कुमार पूर्व मे भी हथियार बनाने एवं सप्लाई करने के आरोप तथा अन्य कई अपराधिक घटनाओ मे जेल जा चुका है।

गिरफतार अपराधी का नाम एवं पता :–

01. रंजन कुमार उर्फ वच्चु पे0 उमेश राय साकिन जेठुली, रेडियो स्टेशन के पास, थाना फतुहॉ, जिला पटना ।
02. अमित कुमार पे0 जागदेव प्रसाद साकिन रायपुरा, थाना फतुहॉ, जिला पटना।
03. बीरमोहन कुमार पे0 राजेदव राय साकिन जेठुली, रेडियो स्टेशन के पास थाना फतुहॉ, जिला पटना ।
04. मनोज कुमार पे0 राजेश्वर महाते साकिन वरियारपुर, थाना चिकसौरा, जिला नालंदा ।
05. मृत्यंजय उर्फ विक्की पिता रामदेव महतो साकिन वख्तियापुर, पश्चिम टोला, थाना वख्तियारपुर, जिला पटना ।

इस गिरोह के द्वार पूर्व मे निम्नलिखित घटना करने की बात प्रकाश मे आयी है :–

अपराधी का नाम व पता	घटना का विवरणी
01. रंजन कुमार उर्फ वच्चु पे0 उमेश राय साकिन जेठुली, रेडियो स्टेशन के पास, थाना फतुहॉ, जिला पटना । 02. अमित कुमार पे0 जागदेव प्रसाद साकिन रायपुरा, थाना फतुहॉ, जिला पटना।	01. एक वर्ष पूर्व फतुहॉ स्टेशन रोड मे किराना दुकानदार के साथ लूटपाट की घटना कारित किया गया। 02. करीब नौ माह पहले ग्राम नोटा फतुहॉ मे केशरी नाम का एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या 03. केशरी की पिता से हत्या करने के पश्चात दो लाख रूपया रंगदारी की मॉग करना 04. एल0आई0सी0 एजेंट फतुहॉ के दुकान मे लूटपाट।

गिरफतार सभी अभियुक्त पी0एल0एफ0आई0 बिहार के सक्रिय सदस्य है। इस गिरोह की गिरफतारी एवं उदभेदन से एक अत्यनंत ही गंभीर वारदात को पुलिस की सक्रियता की बजह से टाला जा सका है।

हिलसा P.S case no 550/15 दि0 – 1.10.15 धारा 399/402/ IPC 25(1-B)a/26/35 आ.ए.